भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार उ.प्र.(पूर्वी) परिमण्डल,
लखनऊ -226001

सेवा में,

1. समस्त एस.एस.ए. प्रमुख, उ.प्र. (पूर्वी) दूरसंचार परिमण्डल।
2. समस्त इकाई प्रमुख, उ.प्र. (पूर्वी) दूरसंचार परिमण्डल।

पत्रांकः स्था/जनरल इलेक्शन/99/2

दिनांक 18.03.2019

विषयः आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन - 2019 निर्वाचन ड्यूटी के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में परिमंडल कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 14.03.2019 एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ.प्र. के पत्र संख्या- 1006/सी.ई.ओ.-1-73/1-2016टीसी-III(A) लखनऊ दिनांक 17.03.2019 का सन्दर्भ लें (प्रति संलग्न)। उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न भारत के चुनाव आयोग के पत्र संख्या- 464/INST/2008-EPS दिनांक 26.12.2008 (प्रति संलग्न) के अनुसार भारत संचार निगम के स्टाफ एवं वाहनों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त (अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर) रखा गया है।

कृपया आप अपने क्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी को उपरोक्त तथ्य से अवगत करायें।

संलग्नकः 3

18/03/19

सहायक महाप्रबन्धक (एच.आर.)

प्रतिलिपिः

मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार, उ.प्र. (पश्चिमी) परिमण्डल, मेरठ।

Scanned by CamScanner

भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार उ.प्र.(पूर्वी) परिमण्डल,
लखनऊ -226001

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ

पत्रांकः स्था/जनरल इलेक्शन/99/2 दिनांक 14 .03.2019

विषयः भारत संचार निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार परिमण्डल के अधिकारीयों/ कर्मचारियों व वाहनों को लोक सभा सामान्य निर्वाचन -2019 के लिए चुनाव ड्यूटी से अवमुक्त रखने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत संचार निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश पूर्वी व पश्चिमी परिमण्डलों द्वारा उत्तर प्रदेश में दूरसंचार सेवायें प्रदान की जाती हैं, जो कि कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आता है। लोक सभा चुनाव 2019 के दौरान भी परिमण्डल के अधिकारी/ कर्मचारी दूरसंचार सेवाओं के अनुरक्षण एवं निर्वाध्य सेवाये बनाये रखने के लिए व्यस्त रहेंगे। इस कार्य के लिए वाहनों की भी आवश्यकता पड़ती हैं ताकि शीघ्रता के साथ सेवायें बहाल रखी जा सके एवं सुदूर क्षेत्रों में सेवायें सुचारु रुप से प्रदान की जा सकें। इन अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा वाहनों को चुनाव ड्यूटी में लगाये जाने पर इस कार्य में कठिनाईयां एवं बाधायें आ सकती हैं। पूर्व लोक सभा चुनाव 2014 एवं विधान सभा चुनाव 2017 में भी भारत संचार निगम लिमिटेड को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा गया था।

अतः इस सम्बन्ध में आपसे पुनः अनुरोध है कि भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा वाहनों को लोक सभा चुनाव 2019 में ड्यूटी से मुक्त रखने के लिए सम्बन्धित जिला निर्वाचन कार्यालयों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें, ताकि चुनाव के दौरान अच्छी एवं सुचारु सचार सेवाये प्रदान की जा सकें।

महाप्रबन्धक (एच.आर./ प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतुः
महा प्रबंधक (सी.एस. & आर.एन.) बीएसएनएल मुख्यालय नई दिल्ली|

Scanned by CamScanner

5

ई0मेल/स्पीड पोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्या–1006/सी0ई0ओ0–1–73/1–2016टीसी–**III(A)** लखनऊः दिनांकः 17 मार्च, 2019

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 में भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों/कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया महाप्रबन्धक (एच0आर0/प्रशासन) भारत संचार निगम लि0, यू0पी0 (पूर्वी), लखनऊ के पत्र संख्या–स्था/जनरल इलेक्शन/99/2, दिनांक 14.03.2019 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 में भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों/कर्मचारियों व वाहन को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग के पत्र संख्या–464/INST/2008-EPS, दिनांक 26.12.2008 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,
17.3.19
(अरबिन्द कुमार पाण्डेय)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्याः–1006(1)/सी0ई0ओ0–1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महाप्रबन्धक (एच0आर0/प्रशासन) भारत संचार निगम लि0, यू0पी0 (पूर्वी), परिमण्डल, लखनऊ के पत्र संख्या–स्था/जनरल इलेक्शन/99/2, दिनांक 14.03.2019 के कम में।

2– समस्त उप/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को वेबसाईट पर डालने हेतु।

17.3.19
(अरबिन्द कुमार पाण्डेय)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

Scanned by CamScanner

G.E-2009

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.

No. 464/INST/2008-EPS Dated: 26[th] December, 2008

To

The Chief Electoral Officers
of all States/UTs.

Subject: - General Election to Lok Sabha, 2009 – Deployment of officers and staff – regarding.

Sir/Madam,

I am directed to state that the Commission has decided that: -

(a) The officers and staff of following departments will not be requisitioned for deployment of election duty: -

(i) Senior officers of the Indian Forest Service.

(ii) Doctors and Compounders working in veterinary hospitals.

(iii) Officers working in Grade – B (Cattle Extension Officer) in veterinary hospitals.

(iv) Medical Practitioners.

(v) Territorial Staff of Forest Department.

(vi) All India Radio.

(vii) Doordarshan.

(b) The operational/technical staff of BSNL, MTNL, UPSC and educational institutions will be requisitioned for election duty only in unavoidable circumstances.

(c) Officer/staff of Commercial Bank located in rural area and if happens to be a single officer branch, need not be deployed.

It is clarified that while drawing persons for election duties, you should explore the possibility of asking for persons from all such Corporations/PSUs in the area instead of asking from one Corporation/PSU only so that it is not too much of a strain on a particular organization.

Kindly acknowledge the receipt of the letter.

Yours faithfully

(SUMIT MUKHERJEE)
UNDER SECRETARY

3686/CE/09 ACEO 5/1/09 /ACEO/08 OSD(A) 2.1.09 (अमृत अभिजात) अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव निर्वाचन उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner